राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1624/2015 **जिला–जयपुर**

उनवान–मै. इमामी लिमिटैड,जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,संभ्लाग–द्वितीय, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.2015	**खण्डपीठ** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा,सदस्य** अपीलार्थी के ओर से श्री डी.कुमार, अभिभाषक व एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिहउपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 09.10.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंन,संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.08.2015, जो अधिनियम की धारा 25,55 व 61 के तहत् पारित किये गये आदेश में रू. 4,28,71,250/– की मांग सृज्ति की है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से सृजित मांग राशि में से 4,14,71,250/– के स्थगन हेतु आवेदन पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने उन्होंने रू. 2,77,39,966/– पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष राशि रू. 1,37,31,284/–के स्थगन को अस्वीकार किया है, जिसे स्थगित करने का निवेदन किया गया है। उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 1,37,31,284/–को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश 09.10.2015 में अंकित नहीं किया गया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर, स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 1,37,31,284/– पर भी स्थगन प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेशान्तर्गत वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया । 19-10-2015 (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य 19.10.2015 (मनोहर पुरी) सदस्य	